न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या : 78/2024
निर्णय दिनांक :– 22-04-2024
उनवान:

1. मुस0 शरबती पुत्री जगदीश उर्फ जगदीश नारायण बेवा मानसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम हाजीपुर तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0 हाल निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....प्रार्थी / वादनी

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र श्री सोलूराम जाति माली निवासी ग्राम माधोसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः– श्री सुधीर कुमार यादव योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया की.ओर से
श्री मनीष यादव योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

।। आदेश ।।

प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 972 रकबा 0.39 है0,973 रकबा 0.69 है0, 974 रकबा 0.61 है0, 980 रकबा 0.30 है0, 981 रकबा 0.32 है0,1021 रकबा 0.42 है0, 1022 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज हिस्सा–11/96 की बाबत यह दावा पेश किया जा रहा है। खसरा नम्बर 972,973, 974, 980, 981, 1021, 1022 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड मे 11/96 हिस्सा वादनी के भाई फूलसिंह पुत्र जगदीश निवासी प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना की खातेदारी मे दर्ज था जो खातेदारी हिस्सा वादनी के पिताजी श्री जगदीश जी की विरासत के जरिये दर्ज हुआ था। वादनी को जानबुझकर उसके पिताजी की विरासत के इंतकाल से वंचित करने पर, वादनी द्वारा आराजी मुतनाजा मे अपना हक प्राप्त करने का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष पेश किया गया जिसका उनवान मुस0 शरबती बनाम फूलसिंह राजस्व वाद सं0 334/2015 था जिंसका न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद प्रतिवादी फूलसिंह की पूर्ण जानकारी मे दिनांक 27.07.2023 को डिक्री कर दिया गया। जिस डिक्री के निष्पादन का इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष पेश किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा डिक्री की पालना राजस्व रिकार्ड मे करने के लिए तहसीलदार नीमराना को आदेश भिजवा दिये गये तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा आदेश की पालना करने के लिए पटवारी हल्का को भेज दिया गया। लेकिन तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा विपक्षी पार्टी से साज बाज होकर, डिक्री की पालना राजस्व रिकार्ड मे नही की गई और डिक्री के पुर्व गलत रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 ने यह जानते हुऐ की उक्त आराजी मे विक्रेता फूलसिंह के नाम दर्ज हिस्से मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी फूलसिंह की बहन मुस0 शरबती देवी के नाम दर्ज करने की डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की जा चुकी है फिर भी फूलसिंह से उक्त खसरा नम्बरान मे गलत

ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड़)

इन्द्राजात के आधार पर फूलसिंह के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा–11/96 का बयनामा बिना मौके पर कब्जा लिये ही अपने नाम से तहरीर करवाकर उसे उप पंजीयक नीमराना कम तहसीलदार नीमराना से साज बाज होकर तस्दीक व पंजीबद्ध करवा लिया गया और फिर गलत बयनामा के आधार पर अपने नाम से इंतकाल स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करवाली गई और अब गलत बयनामा व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाई गई ऐन्ट्री की आड मे आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर उसमे प्लाटींग कर दिगर लोगो को मुन्तकिल करने की फिराक मे है। मिन वादनी को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा करवाये गये गलत एवं अविधिक बयनामा की जानकारी होने पर मैने बयनामा की नकल दिनांक 14.03.2024 को प्राप्त कर, बयनामा निरस्तीकरण का दावा सक्षम न्यायालय मे पेश किया जावेगा। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 गलत बयनामा व गलत इन्द्राजात की आड मे दिनांक 19.03.2024 को मौके पर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास किया गया। जिसकी जानकारी मिन वादनी को होने पर मिन वादी मौके पर गयी एवं अपने हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 को कब्जा नही करने दिया तो प्रतिवादी सं0 1 ने धमकी दी की आराजी मुतनाजा रिकार्ड मे मेरे नाम से दर्ज हो गयी है अब मै इस आराजी पर कब्जा लेकर, उसमे प्लाटींग कर, दिगर जगह बेचान करूगां। तुझे जो करना हो सो कर लेना। बयनामा निरस्तीकरण का दावा पेश करने के लिए स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था मे कुछ समय लगेगा। तब तक तो प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर उसमे प्लाटींग कर देगा। प्रतिवादी सं0 1 जबदस्त व मुठमर्द किश्म का व्यक्ति है जो अविधिक बयनामा की आड मे राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाली गई और अब गलत खातेदारी के आधार पर आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा कर उसमे प्लाटींग कर दिगर जगह मुन्तकिल करने की फिराक मे है। अगर प्रतिवादी सं0 1 अपने इस कुण्ठित इरादे मे कामयाब हो गया तो मिन वादनी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व अपने जायज हक हकूको से वंचित रहना पडेगा एवं बहुवादिता बढेगी ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये । अप्रार्थी सं0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर, प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को गलत बताती हुई जबाब पेश किया गया कि प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र बिना हक व अधिकार के एवं बिना किसी प्रकार के कब्जा एवं लीगल टाईटल गलत तथ्यो के आधार पर मिन अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया गया है। आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड मे विक्रेता फूलसिंह की खातेदारी मे दर्ज थी और मौके पर भी फूलसिंह का ही कब्जा था इसलिए मिन अप्रार्थी ने फूलसिंह को बेचान की चुकता रकम अदा कर एवं मौके पर कब्जा लेकर, विधिवत रूप से उक्त भूमि को जरिये रजि0 बयनामा के खरीद किया गया है। मिन अप्रार्थी सं0 1 आराजी मुतनाजा का खरीददार मालिक काबिज हूँ तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त आराजी की बाबत निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए पुनः उसी न्यायालय मे आराजी मुतनाजा की बाबत वाद नही चल सकता है। न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अप्रार्थी द्वारा कैवियट लगा रखी थी। उसके बावजूद भी न्यायालय श्रीमान् को मुगालता मे रखते हुऐ एक तरफा मे स्टे प्राप्त कर लिया है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई ।

हमने प्रार्थीया द्वरा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया । तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

को दोहराते हुऐ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण के समय प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू पर गोर किया जाना आवश्यक होता है।

(1) प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किये गये है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मुतनाजा के हाल रिकार्ड मे फूलसिंह पुत्र जगदीश के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्से का बेचान गलत तरीके से जरिये रजि0 बयनामा के अप्रार्थी को कर दिया गया और अप्रार्थी के नाम से गलत बयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी भी दर्ज कर दी गई। जिसके आधार पर अप्रार्थी मौके पर जबरन कब्जा करना चाहता है। इसलिए अप्रार्थी को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जावे।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के तथ्यो का खण्डन करता हुआ अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थीया का आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना नही है ना ही मौके पर कब्जा है। मिन अप्रार्थी ने आराजी मुतनाजा के मौके पर कब्जा लेकर, आराजी मुतनाजा को विधिवत रूप से खरीद किया है और राजस्व रिकार्ड मे भी मिन अप्रार्थी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीया, हुक्म ईम्तनाई का वाद लाने की अधिकारी नही है। उक्त तथ्यो का अवलोकन करने से जाहीर होता है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज हो चुकी है। जो खातेदारी रजि0 बयनामा के आधार पर दर्ज हुई। मौके पर कब्जा प्रार्थीया का होने बाबत प्रार्थीया ने कोई ठोस सबूत पेश नही किये गये है ना ही मौके पर प्रार्थीया का कब्जा होने बाबत मौजिज व्यक्तियो के शपथ पत्र पेश किये गये है। इसलिए मौके पर प्रार्थीया का कब्जा साबित नही होने के कारण प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण भी साबित नही पाया जाता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

(2) सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति का बिन्दू :– विवादित आराजी के मौके पर प्रार्थीया अपना कब्जा साबित करने मे असफल रही है इसलिए प्रथम दृष्टया केश प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जा चुका है इसलिए सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे साबित नही होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे।

22.04.2024

पंकज़ बड़गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)